प्रेस नोट

दिनांक 28.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना को0नगर में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशः-

गोण्डा। आज दिनांक 28.06.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना कोतवाली नगर में जनसुनवाई की गयी। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना को0 नगर में जनसुनवाई के दौरान 08 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के थानों पर व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.06.2025, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करके जमीन अपने नाम कराने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 599/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा0द0वि0 थाना को0नगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. लईक खान पुत्र शब्बीर अली निवासी केटवाडा मजार माण्डी के पास थाना कोतवाली ज्वालापुर जनदप हरिद्वार उत्तराखण्ड को गुरूनानक चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी श्री तव्वाब खाँ पुत्र मोहम्मद अली, निवासी ग्राम नरपतपुर, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली नगर, गोंडा को सूचना दी गई कि उन्होंने विपक्षी से भूमि का 1/3 भाग क्रय किया था तथा शेष 2/3 भाग अन्य सहखातेदारों से भी खरीद लिया था। बैनामे की तिथि से ही वह उक्त भूमि पर काबिज एवं दाखिल है। त्रुटिवश विक्रेताओं में से एक शब्बीर अली का नाम खतौनी में अंकित रह गया, जिसे शब्बीर अली की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों द्वारा फर्जी तरीके से उत्तराधिकार दिखाकर अपने नाम चढ़वा लिया गया तथा बाद में भूमि को अन्य के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 1018/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा0द0वि0 बनाम लईक खान आदि 06 नफर आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 28.06.2025 को को0नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त 01. लईक खान पुत्र शब्बीर अली निवासी केटवाडा मजार माण्डी के पास थाना कोतवाली ज्वालापुर जनदप हरिद्वार उत्तराखण्ड को गुरूनानक चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. लईक खान पुत्र शब्बीर अली निवासी केटवाडा मजार माण्डी के पास थाना को0 ज्वालापुर जनदप हरिद्वार उत्तराखण्ड।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 -1018/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा0द0वि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा
02. का0 हरकेश सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।